परिशिष्ट-1 [26/2/2026]

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न सं. [क्र.-1185]

जुलाई-अगस्त,2025

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **28/07/2025**

वर्ग : 3 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **06/08/2025** विभाग का नाम : **स्कूल शिक्षा**

विषय : **हा.से. की कक्षायें संचालित किये जाने।**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **1239**) **श्रीमतीचंदा सुरेन्द्र सिंह गौर**

क्या **स्कूल शिक्षा मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या खरगापुर विधान सभा क्षेत्र के कई स्थानों ग्रामों से हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण करने बाद छात्र/छात्रायें कक्षा बारहवीं की शिक्षा ग्रहण करने हेतु परेशान रहते हैं। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत ग्राम वैसा खास, ग्राम रामनगर बुर्जुग, ग्राम सुजानपुरा, ग्राम भेलसी में संचालित हाई स्कूलों का उन्नयन कर (10+2) हायर सेकेण्डरी किये जाने की मांग छात्र/छात्राओं एवं ग्रामीणजनों द्वारा की जा रही है। क्या छात्र/छात्रओं को बारहवीं की शिक्षा प्राप्त आसानी से हो सके इस हेतु क्या वर्णित ग्रामों में हा.से. (10+2) की कक्षायें संचालित किये जाने यानि उन्नयन किये जाने के आदेश जारी करेगें यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या रामनगर बुर्जुग, वैंसा खास, सुजानपुरा, भेलसी की कुछ छात्रायें हाई स्कूल उत्तीर्ण करके घर बैठ जाते हैं और बाहर पढ़ने जाने की असुविधा के कारण बारहवीं की शिक्षा से वंचित रह जाती है तथा भेलसी हाई स्कूल को उन्नयन किये जाने हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भेलसी प्रवास पर पहुंचते ही घोषणा की थी, मगर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या इन चारों हाई स्कूलों को हा.से. (10+2) में उन्नयन किये जाने की कार्यवाही जनहित में करेंगे ? यदि हां तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? कारण बतायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री(श्री उदय प्रताप सिंह):

(क) जी नहीं। **(ख)** मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 22-06-2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्र.एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा जारी निर्देश के बिन्दु क्रमांक 2.2 अनुसार सी.एम.राईज योजना (सांदीपनि) संचालित होने के कारण कोई नया विद्यालय आरम्भ नहीं किया जाएगा, का उल्लेख है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। शासन के मापदण्ड अनुसार 8 कि.मी. की परिधि में कोई हायर सेकेण्डरी स्कूल न होने पर उन्नयन की पात्रता होती है, जबकि हाई स्कूल भेलसी से 5 कि.मी. दूरी पर सांदीपनि विद्यालय खरगापुर एवं 6 कि.मी. की दूरी पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बल्देवगढ़ है, इस कारण उन्नयन की पात्रता नहीं आती है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है।

कार्यालयों के उत्तर :-

Reply By : **COMMISSIONER PUBLIC INSTRUCTION** | Reply Date On : **24/07/2025 05:16:51 PM** | Status: **Final**

Answer :

(क) जी नहीं ।

(ख) मंत्रिपरिषद के निर्णय दिनांक 22-06-2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश कं.एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा जारी निर्देश के बिन्दु क्रमांक 2.2 अनुसार सी.एम.राईज योजना (सांदीपनि) संचालित होने के कारण कोई नया विद्यालय आरम्भ नहीं किया जाएगा का उल्लेख है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) जी नहीं । शासन के मापदण्ड अनुसार 8 कि.मी. की परिधि में कोई हायर सेकेण्डरी स्कूल न होने पर उन्नयन की पात्रता होती है, जबकि हाईस्कूल भेलसी से 5 कि.मी. दूरी पर सांदीपनि विद्यालय खरगापुर एवं 6 कि.मी. की दूरी पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बल्देवगढ है, इस कारण उन्नयन की पात्रता नहीं आती है ।

Reply By : **Director Rajya Shiksha Kender** | Reply Date On : | Status: **Pending**

Answer :

(संजीव जैन)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग